A-12025/5/2008-Adm.I
GOVERNMENT OF INDIA
PLANNING COMMISSION

Government of India, Planning Commission requires the services of an Expert in Manpower Planning, Management, Research and Training as Director to head its autonomous institution, namely, Institute of Applied Manpower Research, Narela, Delhi. The appointment shall be on Deputation / Contract for a tenure of five years from the date the selected officer joins.

The details of vacancy, e.g. its scale of pay, eligibility requirements, etc., are given hereunder:-

(a) Scale of pay :
Rs. 26,000/- (Fixed) OR Rs.22400-525-24500
(Exact scale of pay will be decided by the Selection Committee at the time of selection depending upon the qualifications and experience of the officer selected for the post).

(b) Allowances:
In addition to the Pay as may be decided, the selected officer will be entitled to Dearness Pay @ 50% of his Basic Pay; Dearness Allowance as per Central Govt. rates [present rate is 17% of (Basic Pay *plus* Dearness Pay)]; HRA @ 30% of (Basic Pay *plus* Dearness Pay); CCA @ Rs.300/- p.m.

(c) Perks like Residential Bungalow and Transportation:
The selected officer will be entitled to allotment of independent residential bungalow at the Narela campus of the Institute located at about 35-40 Kms from the Central Secretariat, New Delhi. In the event of his occupying the residential bungalow, he would not be eligible for HRA, besides deduction of Licence Fee at prescribed rate. Official Transport will also be available.

DUTIES ATTACHED TO THE POST:

Heading the Institute of Applied Manpower Research (IAMR) which is engaged in Manpower Planning, Management, Research and Training for National and International participants.

ELIGIBILITY :

(a) Should possess Master's Degree in Economics or Statistics from a recognised University/ Institute.

(b) At least 15 years' experience of standing in the relevant field of selection. The position presently held by the applicant should be equivalent to Additional Secretary level [for consideration for the pay of Rs.26,000/- (Fixed)] or JS level or equivalent to that of

Professor of a University (for consideration for the pay scale of Rs.22400-24500).

-/-

(c) The candidate should have strong intellectual credentials and qualities of leadership for heading an organisation independently and should also have a proven track record in raising of funds for their research Institutions, besides the normal grants from Govt. to the Institutes served by them in the past.

AGE LIMIT (TO BE TAKEN AS ON CLOSING DATE) :

The preferred age-group for applicants should be between 45 and 55 years.

PERIOD OF DEPUTATION / CONTRACT:

The period of deputation / contract shall be for five years. The terms and conditions of deputation will be regularised according to the orders contained in the Govt. of India, DoPT's OM No.2/29/91-Estt.(P.II), dated 5th January, 1994 as amended from time to time and in the case of those coming on contract, the terms will be settled in consultation with the concerned authority.

It may also be taken note of that in terms of DoPT's OM No. AB14017/89/2007-Estt.(RR), dated 2nd January, 2008, a candidate once applies for being considered and he/she is considered and selected by the ACC, ordinarily, he/she should not decline the appointment and if he/she declines the appointment he/she will not be considered for any further appointment outside his/her cadre.

GENERAL CONDITIONS:

(i) Candidates are expected to furnish their track record in terms of fund raising as per the requirement for eligibility.

(ii) The Planning Commission / Search-cum-Selection Committee reserves the right to nominate any suitable candidate other than those who apply in response to this advertisement.

(iii) Candidates should send in their applications and CVs through proper channel i.e. through their Employers with a clear 'No Objection'.

(iv) Candidates will need to produce proof in support of the information furnished in their applications as and when required.

(v) The outstation candidates, if called for interview, will be paid to and fro actual fare / II Class AC Rail fare, whichever is less, on production of proof of journey such as the railway ticket numbers or the bus tickets.

(vi) Applications alongwith CVs complete in all respects should reach Under Secretary (Adm.-1), Planning Commission, Room

No.446, Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi-110 001 within 45 days from the date of publication of this advertisement.

****

सं.ए-12025/5/2008-प्रशासन-1

भारत सरकार

योजना आयोग

भारत सरकार, योजना आयोग को अपने अधीनस्थ, जनसाधन अनुसंधान संस्थान, नरेला, दिल्ली में निदेशक के पद पर कार्य करने हेतु जनसाधन योजना, प्रबंधन, अनुसंधान और प्रशिक्षण में एक विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता है। उक्त पद पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति / अनुबंध आधार पर अधिकारी के पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी।

रिक्ति का ब्योरा, उसका वेतनमान, योग्यताएं, इत्यादि निम्नवत होंगे :-

(क) वेतनमान :

26,000/- रू. (स्थिर) **अथवा** 22400-525-24500 रू.

(नियुक्ति के लिए चयन किए गए अधिकारी की अर्हताएं तथा अनुभव के आधार पर चयन के समय चयन समिति द्वारा सही-सही वेतनमान निश्चित किया जाएगा)

(ख) भत्ते :

यथा निर्धारित वेतन के अलावा, चयन किए गए अधिकारी, मुलवेतन के 50% के दर से महंगाई वेतन, केन्द्रीय सरकार के दरों पर महंगाई भत्ता [वर्तमान में यह (मूलवेतन *जमा* महंगाई वेतन का) 17% है], (मूलवेतन *जमा* महंगाई वेतन के) 30% के दर से मकान किराया भत्ता, 300/- रू. प्रति माह के दर से नगर प्रतिपूर्ती भत्ता इत्यादि के हकदार होंगे।

(ग) आवासीय भवन तथा यातायात जैसी अन्य सुविधाएँ :

ायन किए गए अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली से 35-40 कि.मी. की दूरी पर स्थित, संस्थान के परिसर में स्वतंत्र आवासीय भवन के आबंटन के हकदार होंगे। यदि अधिकारी आवासीय भवन में रहते हैं तो वे मकान किराया भत्ते का हकदार नहीं होंगे तथा उन्हें निर्धारित दरों के अनुसार लाइसेंस फी भी देनी होगी। सरकारी वाहन भी उपलब्ध होगा।

पद से संबद्ध कार्य :

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए जनसाधन योजना, प्रबंधन, अनुसंधान और प्रशिक्षण में कार्यरत जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) के प्रधान के रूप में कार्य करना।

योग्यताएँ :

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी में मास्टर डिग्री।

(ख) चयन से संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव। आवेदनकर्ता द्वारा वर्तमान में धारित पद अपर सचिव [26,000/- रू (स्थिर) वेतन के लिए विचारार्थ] अथवा संयुक्त सचिव अथवा विश्वविद्यालय के आचार्य (22400-24500 रू. के वेतनमान के लिए विचारार्थ) के समतुल्य होना चाहिए।

-/-

(ग) उम्मीदवार से आशा कि जाती है कि वे विशेष योग्यता रखते हों और किसी संस्थान का स्वतंत्र रूप से नेतृत्व करने की क्षमता रखते हों और उनसे यह भी आशा की जाती है कि अपने पूर्व के कार्यकाल में वे अपने संस्थान के लिए सामान्यतः सरकार से मिलने वाले अनुदान के अलावा निधि-वर्धन कार्य में अपनी पिछला कार्य-निष्पादन का रिकार्ड भी रखते हों ।

आयुसीमा (अंतिम तिथि के अनुसार) :

अधिमानतः उम्मीदवारों की आयु वर्ग 45 और 55 वर्ष के बीच होना चाहिए ।

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि पाँच वर्ष की होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/89/2007-स्थापना (आर.आर.) के अनुसार एक बार आवेदन करचुके अभ्यर्थि पर विचार करने के बाद नियुक्ति के लिए मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति द्वारा चयन हो जाने पर यदि उक्त अभ्यर्थि नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते है, तो उस के बाद अपने मूल कैडर के बाहर के पद के लिए उस अभ्यर्थि का कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सामान्य शर्तें :

(i) योग्यता के तौर पर उमामीदवारों से यह आशा की जाती है कि वे अपने आवेदन में निधि-वर्धन से संबंधित पिछले कार्य-निष्पादन के बारे में ब्यौरा दें ।

(ii) योजना आयोग / अन्वेषण-सह-चयन समिति को इस विज्ञापन के जवाब में मिले आवेदनों के अलावा और किसी का भी नाम नामांकित करने का हक होगा ।

(iii) आवेदनकर्ता अपना आवेदन तथा सी.वी. को उचित माध्यम द्वारा अर्थात् अपने नियोक्ता के द्वारा स्पष्ठ 'अनापत्ति' सहित भेजें ।

(iv) प्रार्थी को अपने आवेदन में दिए गए ब्योरों के प्रमाण, जब और जैसे अपेक्षित होंगे, प्रस्तुत करने होंगे ।

(v) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए बाहर के व्यक्तियों को, यदि वे सरकारी सेवा में न हों तो, रेलवे टिकट संख्या अथवा बस टिकट जैसे यात्रा प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर आने औऱ जाने का वास्तविक / ए.सी. द्वितीय क्षेणी का किराया, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा ।

(vi) पूर्ण रूप से भरे आवेदन, सी.वी. सहित, अवर सचिव (प्रशासन-1), योजना आयोग, कमरा नं.446, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के अन्दर मिलजाने चाहिए ।

****